न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2. रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर हाल निवासी बलदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर	1. गोमीदेवी पुत्री चिमनसिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रोहिड़ा पाड़ा, रामदेव नगर बाड़मेर 2. जेठीदेवी पुत्र चिमनसिंह पत्नी भीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर हाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. नैनूदेवी पुत्री चिमनसिंह पत्नी डूंगरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 4. पदमसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर बाड़मेर हाल चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2021 बअनवान गोमीदेवी बनाम पदमसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी, श्री कुंदनसिंह चौहान रेस्पोडेंटगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बाड़मेर आगोर के खेत खसरा संख्या 1021, 1022 व 1020 रकबा क्रमशः 53.16 बीघा, 11.02 बीघा व 0.01 बीघा भूमि रेस्पोडेंटगण के दादा खेता पुत्र गुणेशा का कब्जा काश्त का आया हुआ है व खेता पुत्र गुणेशा के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया। खेताराम के फौत होने पर उनके वारिसान पांचो पुत्रों का बराबर हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। फिर बाद में चिमनसिंह के फौत हो जाने से नामान्तकरण संख्या 680 भरा जाकर चिमनसिंह के वारिस उनकी पत्नी सुन्दरदेवी व पुत्र पदमसिंह के नाम से भरा गया। अपीलाधीन आराजी सुन्दरदेवी के फौत होने पर अकेले पदमसिंह के नाम से राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेकर्ड में दर्ज हो गई। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03 मृतक चिमनसिंह की पुत्रीयां है व रेस्पोडेंटस संख्या 04 की बहने हैं। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के क्रेता खातेदार है जिन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थिति विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत वाद में वर्णित अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंट संख्या 04 की माता सुन्दरदेवी द्वारा अपीलांटस संख्या 01 बाड़मेर आगोर के खेत खसरा संख्या 1021 रकबा 53.15 बीघा में अपना 1/10 हिस्सा की भूमि 05.07 बीघा का बैचान दिनांक 05.02.2007 को कर दिया था व मौके पर कब्जा भी अपीलांटस का करवा दिया गया था। ग्राम बाड़मेर आगोर के खेत खसरा संख्या 1022 रकबा 11.02 बीघा में सुन्दरदेवी ने अपने 1/10 वां हिस्सा की भूमि अपीलांट संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 26.02.2007 को करवा दिया था व मौके पर कब्जा भी करवा दिया था। सुन्दर देवी के द्वारा अपीलांटगण के पक्ष में निष्पादित बैचान के बाद इन खसरों के सह खातेदारों ने मौके पर कब्जा के आधार पर सुन्दर देवी के द्वारा किये गये बेचान को सही मानकर अपीलांट के पक्ष में एक सहमति पत्र दिनांक 15.09.2008 को लिख कर नोटोरी से सत्यापित करवा कर दिया था। रेस्पोडेंटस संख्या 04 की माता के द्वारा अपीलांट को बेचान करने पर अपनी माता के द्वारा बैचान को सही मान कर आप स्वयं के द्वारा व अपनी धर्मपत्नी मूमल ने भी अपीलांट के पक्ष में सहमति पत्र 100 रू के स्टाम्प पेपर पर लिखाकर नोटेरी से तस्दीक करवा कर दिनांक 21.08.2007 को दिया था। अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन आराजी खरीद की गई का अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने व अपने नाम से खातेदारी घोषित करवान के दो अलग–अलग राजस्व वाद संख्या 202/2019 अनवान कानसिंह बनाम पदमसिंह व राजस्व वाद संख्या 203/2019 रामसिंह बनाम पदमसिंह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो विचाराधीन है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 को अपनी माता के द्वारा अपीलांट को बेचान करने व उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के द्वारा पेश राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को निष्प्रभावी करने की नियत से अपनी बहन के साथ दुरभि संधि कर अपीलांटगण को अपने हकों से वंचित करने की नियत से रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैम्प कोर्ट में पेश किया गया तथा उसी दिन कैम्प कोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या 04 द्वारा इकबालिया जबावदावा पेश करने पर डिक्री किया गया जबकि हस्तगत वाद में अपीलांटगण आवश्यक एवं पिड़ित पक्षकार है जिसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित खातेदारों को ध्यान में रखते हुए वादीगण को रेस्पोडेंटस संख्या 04 से अपने हितों को लेकर खातेदारी घोषणा करवानी थी इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मजमे आम में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात रेस्पोडेंटस संख्या 04 द्वारा वादीगण का वाद अपने इकबालिया जबाव दावे के अनुसार स्वीकार करने पर हस्तगत वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। बाड़मेर आगोर के खेत खसरा संख्या 1021, 1022 व 1020 रकबा क्रमशः 53.16 बीघा, 11. 02 बीघा व 0.01 बीघा भूमि रेस्पोडेंटगण के दादा खेता पुत्र गुणेशा का कब्जा काश्त का आया हुआ है व खेता पुत्र गुणेशा के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया। खेताराम के फौत होने पर उनके वारिसान पांचो पुत्रों का बराबर हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। फिर बाद में चिमनसिंह के फौत हो जाने से नामान्तकरण संख्या 680 भरा जाकर चिमनसिंह के वारिस उनकी पत्नी सुन्दरदेवी व पुत्र पदमसिंह के नाम से भरा गया। अपीलाधीन आराजी सुन्दरदेवी के फौत होने पर अकेले पदमसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03 मृतक चिमनसिंह की पुत्रीयां है व रेस्पोडेंटस संख्या 04 की बहने हैं। अपीलाधीन आराजी पैतृक है जिसमें वादीगण/रेस्पोडेंटस जन्म से हक हिस्सा नियत है। हस्तगत वाद वादीगण ने अपने उतराधिकारी हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया तथा अपीलांटगण द्वारा अपने पक्ष में बेचान के आधार पर वाद पेश किया गया। सुन्दरदेवी द्वारा बेचान 2007 में किये गये जबकि अपीलांटगण द्वारा दावे 2019 में पेश किये गये जिसमें 14 वर्ष की सुदीर्घ के पश्चात न्यायालय के समक्ष आने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रिकॉर्ड में हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस/वादीगण द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 04 द्वारा हस्तगत वाद में पेश इकबालिया जबाव दावे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जबकि रेस्पोडेंटस संख्या 04 को अपीलांटगण द्वारा पेश दावों को पूर्ण रूप से जानकारी थी जिसे रेस्पोडेंट संख्या 04 द्वारा छुपाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 04 द्वारा दावे में इकबालिया जबाव दावा पेश कर अपीलांटगण को अपने हितों से वंचित करने की कोशिश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पिडित आवश्यक पक्षकार अपीलांटगण को संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2021 बअनवान गोमीदेवी बनाम पदमसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर अपीलांटगण द्वारा पेश वाद संख्या 202/2019 व 203/2019 के साथ हस्तगत वाद संख्या 83/2021 को समेकित किया जाकर बाद विस्तृत सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.04.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर